



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 8.1.2021

कार्यालय आदेश-987

विषय : वेदपाठशाला/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के पुनः प्रारम्भ करने एवं वेद छात्रों की उपस्थिति एवं छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में ।

प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशाला प्रबंधकों एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को सूचित किया जाता है, कि कोरोना संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन खुलने के उपरांत भारत सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों (जैसे : असम, कर्नाटक, पंजाब, मध्यप्रदेश आदि) द्वारा कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों को विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में आदेश जारी किए हैं ।

प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशाला प्रबंधक एवं इकाई अध्यापक भी कक्षा 9वीं से 12वीं के समकक्ष प्रतिष्ठान के वेदभूषण चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष तथा वेदविभूषण प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों के पाठशाला / इकाई में उपस्थित होकर साक्षात वेद अध्ययन हेतु राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें ।

छात्रों के विद्यालय में उपस्थिति के पूर्व पाठशाला / इकाई में साफ-सफाई, सेनेटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा छात्रों के विद्यालय में प्रवेश हेतु अभिभावकों से सहमति पत्र प्राप्त करें ।

उपस्थिति

राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन के आदेश की प्रति तथा अभिभावकों के सहमति पत्र के साथ उपस्थित छात्रों की सूची प्रतिष्ठान कार्यालय को प्रेषित करें । प्रतिष्ठान को प्रेषित की गई छात्रों की सूची अनुसार छात्रों को परीक्षा में उपस्थित कराने की पूर्ण जिम्मेदारी वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक की रहेगी ।



(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

प्रतिलिपि : (1) समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।

(2) कार्यालय आदेश पत्रावली ।